नगर निकायों में खत्म नहीं होंगे समूह ग व घ के अस्थायी पद

2127 अस्थायी पदों को एक साल तक बनाए रखने के आदेश

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आरक्षित वर्ग के बैकलॉग को भरने के लिए नगर निकायों में सृजित अस्थायी पदों में से समायोजन के बाद शेष पदों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इन 2127 पदों को नगर विकास विभाग ने एक साल तक के लिए बनाए रखने का आदेश दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि इन पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की जाएगी। ये सभी पद उप्र पालिका अकेंद्रीयत सेवा संवर्ग के हैं।

नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में आरक्षित वर्ग के बैकलाग को भरने के लिए 2007 से लेकर 2015-16 के बीच जरूरत के हिसाब से अकेंद्रीयत सेवा के 2513 अस्थाई पदों को सृजित किया गया था। इसमें से 995 पदों को समायोजित कर दिया गया है। लेकिन 1518 पद शेष रह गए। इसी प्रकार अगस्त 2016 से अगस्त-2017 के लिए भी अकेंद्रीयत सेवा संवर्ग में आरक्षित वर्ग का बैकलाग भरने के लिए 637 अस्थायी पदों का सृजन किया गया था। इसमें से 28 पदों को समायोजित कर दिया गया है, लेकिन 609 पद रिक्त हैं। इस प्रकार विभिन्न निकायों में 2127 अस्थायी पद रिक्त हैं। निदेशक स्थानीय निकाय ने नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए इन शेष पदों को एक साल तक और बनाए रखने का अनुरोध किया था। इस पर नगर विकास विभाग ने समूह ग व घ के सभी 2127 पदों को एक साल तक बनाए रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, लेकिन इन पदों के सृजन से बढ़ने वाले वित्तीय भार का वहन स्थानीय निकायों को ही करना होगा। इसके लिए सरकार किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं देगी।

पदों के समायोजन की संभावना खत्म

सिर्फ एक साल के अस्थायी पदों को बनाए रखने के आदेश के बाद अब यह साफ हो गया है कि सरकार इन पदों का समायोजन नहीं करेगी। दरअसल इन पदों को समायोजित करने के लिए कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बना रखा था, लेकिन सरकार ने चुनावी साल होने के चलते इन पदों को एक साल तक और बनाए रखने का आदेश देकर कर्मचारियों को साफ संकेत दे दिया है कि अब इस बारे में अंतिम निर्णय अगली सरकार ही लेगी। इसलिए माना जा रहा है कि इन पदों के समायोजन की संभावना बहुत कम है।